शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 30.06.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा तान्त्रिक विद्या द्वारा जमीन मे गड़ा धन निकालने के नाम पर वादी के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्री अशोक कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी बांछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायां पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी पुवायाँ पुलिस द्वारा तान्त्रिक विद्या द्वारा जमीन मे गड़ा धन निकालने के नाम पर वादी के साथ 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के बांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01.03.2024 को वादी श्री कनीत उर्फ अमित पुत्र जीवन लाल नि0 सुनारा बुजुर्ग थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना हाजा पर तहरीर देकर अभियुक्त 1.सुनील पुत्र रामवीर निवासी ग्राम टिकरा थाना उसहैत तहसील दातागंज जिला बदायूं 2 मनोज पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम आधीदेई थाना कलान जिला शाहजहांपुर 3.दिनेश पुत्र नामालूम नि0 टनकपुर 3.एक व्यक्ति अज्ञात नि0 अज्ञात के द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी/तान्त्रिक विद्या करके वादी से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना पुवायाँ द्वारा सम्पादित की गयी। मुकदमा उपरोक्त मे 03 अभियुक्तगण को पूर्व मे जेल भेजा जा चुका हैं।

दिनांक 30.06.2024 को थाना पुवायाँ को जरिये मुकदमा वादी द्वार सूचना दी कि मेरे साथ जिन लोगो ने धोखाधडी की घटना की थी उन मे से एक व्यक्ति दिनेश बडागाँव के पास रोड बनाने वाली कम्पनी कार्यालय के सामने सडक किनारे अल्टो कार लेकर खडा है अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है । वादी की बात पर विश्वास कर वादी के द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे तो सडक किनारे एक DL 8 CU 6149 न0 की अल्टो कार खडी दिखाई दी जिसमे अंदर एक व्यक्ति बैठा है जिस व्यक्ति को कार से निकाल कर नाम पता और जामा तलाशी ली तो इस व्यक्ति ने अपना नाम अमित शर्मा उर्फ दिनेश पुरी पुत्र दिनेश चन्द्र शर्मा निवासी टीचर्स कालौनी गली नं0 4 कस्बा व थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर हाल निवासी B2 डबल स्टोरी मोतिया खाना थाना पहाडगंज न्यू दिल्ली 55 बताया वादी द्वारा पहचना कर बताया कि यही व्यक्ति दिनेश पुरी है जिसने अपने साथियो के साथ मिलकर मेरे साथ घटना कारित की थी और ये लोग इसी गाडी मे आते थे । इस व्यक्ति से बरामद 42501 रुपया व सोने की एक चैन व तीन अंगुठी मुकदमा उपरोक्त का माल मुकदमाती है तथा इसके कब्जे से बरामद आधार कार्ड कूटरचित है जो धारा 467/468/471 IPC का अपराध हैं तथा मुकदमा उपरोक्त की बरामदगी के आधार पर धारा 411 IPC का अपराध बनता है अतः मुकदमा उपरोक्त मे धारा 467/468/471/411 IPC की वृद्धि की जाती है अभि0 को इसके जुर्म धारा 420/386/120B/467/468/471/411 IPC मे अवगत कराकर समय 14.00 बजे हिरासत

पुलिस लिया। अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अमित शर्मा उर्फ दिनेश पुरी पुत्र दिनेश चन्द्र शर्मा निवासी टीचर्स कालौनी गली नं0 4 कस्बा व थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर हाल निवासी B2 डबल स्टोरी मोतिया खाना थाना पहाडगंज न्यू दिल्ली 55

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0स0 160/24 धारा 420/386/120B/467/468/471/411 IPC

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1.प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2.उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3.हे0का0 180 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि सहाब जब मै पकडा ही गया हूँ तो आपको घटना के सम्बन्ध मे सब कुछ सही सही बता रहा हूँ कनीत उर्फ अमित के साथ हम लोगो ने जो घटना की थी उसी घठना के निकले रुपयो मे से जो रुपयो आपको मिले है मेरे पास वही बचे शेष रुपये है तथा घटना के मिले रुपयो मे से मैने दिल्ली मे एक व्यक्ति से 1,5,0000/- रुपया मैने सोने की चैन और तीन अंगूठी सोने की खरीद ली थी और शेष जो मेरे पास था वो मैने खर्च कर दिया था जो आधार कार्ड आपको मेरे से मिला है उस आधार कार्ड पर मेरा ही फोटो लगा है परन्तु मेरा नाम और पता नही है इस आधार कार्ड मैने आर्थिक लाभ पाने और किसी घटना मे प्रयोग करने के लिए मैने तैयार कराया है जिससे मेरी पहचा न हो सके और इसका मैने कई जगह प्रयोग भी किया है ।साहब गलती हो गयी मांफ कर दीजिए।